

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 20/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च, 2024

सा.का.नि. .... (अ)- वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018, के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 57 के समक्ष, मद (iv) के बाद और शब्दों "के अंतर्गत आने" से पहले, निम्नलिखित मद को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(v) स्तंभ (3), क्रम सं. 526क की मद (2) की उपमद (ग);”

[फा.सं. सीबीआईसी 190354/42/2024-टीआरयू सेक्शन -सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे  
अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा.का.नि.सं. 114(अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि.सं. 54(अ), दिनांक 22 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

